UIDF GUIDELINES

CORRIGENDUM

Date – 12th April 2024

Relaxations / Modifications under Urban Infrastructure Development Fund (UIDF)

In modification of the extant UIDF guidelines, the following relaxations have been adopted –

1. Modification of Clause no. 2.2 (Normative Allocation)

   Keeping in view the low appetite of the States/UTs for UIDF funds, as a one-time relaxation in the first year of operation of UIDF, the excess demand of any State / UT for funds over and above its normative allocation would be considered by the National Housing Bank (NHB) on a first come first served basis after 29th February 2024 for FY 2023-24.

2. Modification of Clause no. 3.2 (Eligible Amount)

   Percentage of the project cost that can be considered for various projects under UIDF will be as below:

Size of the Project	**Other than NE and Hilly States**	**NE and Hilly States**
5 - 10 Crores*	90%	95%
>10-50 Crores	85%	90%
> 50-500 Crores#	75%	85%
***1-10 crore for Northeast and Hilly States**		

Maximum loan amount/exposure limit under UIDF for any new or ongoing Project shall be restricted to ₹ 100 crore.

3. Modification of Clause no. 3.6 (Clubbing of Projects)

   The State Government may club small-sized projects in a single DPR. The minimum size and maximum size of the DPR shall be ₹ 5 Crores (₹ 1 Crore for North-East & Hilly States) and ₹ 500 Crores, respectively.

यूआईडीएफ दिशानिर्देश शुद्धिपत्र

दिनांक – 12 अप्रैल 2024

शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) के अंतर्गत छूट/संशोधन

मौजूदा यूआईडीएफ दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए, निम्नलिखित छूट को अपनाया गया है -

1. खंड संख्या 2.2 में संशोधन (मानक आवंटन)

यूआईडीएफ निधियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कम मांग को ध्यान में रखते हुए, यूआईडीएफ के संचालन के प्रथम वर्ष में एकमुश्त छूट के रूप में, इसके मानक आवंटन से अधिक धनराशि के लिए किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अतिरिक्त मांग पर विचार किया जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 29 फरवरी 2024 के बाद पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विचार किया जाएगा।

2. खंड संख्या 3.2 में संशोधन (पात्र राशि)

यूआईडीएफ के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए विचार की जा सकने वाली परियोजना लागत का प्रतिशत निम्नानुसार होगा:

परियोजना का आकार	**पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के अतिरिक्त**	**पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य**
5 - 10 करोड़ *	90%	95%
>10-50 करोड़	85%	90%
> **50-500 करोड़** #	75%	85%
***1-10 करोड़ पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए**		

किसी भी नई या चालू परियोजना के लिए यूआईडीएफ के तहत अधिकतम ऋण राशि/एक्सपोजर सीमा ₹ 100 करोड़ तक सीमित होगी।

3. खंड संख्या 3.6 में संशोधन (परियोजनाओं का एकीकरण)

राज्य सरकार एक ही डीपीआर में छोटे आकार की परियोजनाओं को शामिल कर सकती है। डीपीआर का न्यूनतम आकार और अधिकतम आकार क्रमशः ₹ 5 करोड़ (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए ₹ 1 करोड़) और ₹ 500 करोड़ होगा।